न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 13/2018

अमरजीतकौर उर्फ पुष्पादेवी पत्नी बलदेवसिंह पुत्री रखाराम जाति सैनी निवासी 4 डीडी(सी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर । ——अपीलार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी 6 डीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 16.11.1989

उपस्थितिः–

श्री राजेश गुम्बर अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री तेजासिंह अभिभाषक रेस्पो.संख्या 1

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश कर कथन किया कि प्रार्थी को चक 4 डी.डी. (सी) के मु.न. 145/14 में 25 बीघा भूमि आवंटन है। प्रार्थी मु.न. 146/18 के कि.न. 1 से 7 की 6.18 बीघा भूमि स्मालपैच में आवंटन करवाना चाहता है। अतः उक्त भूमि उसे बतौर स्मलपैच में आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान करे। उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 16.11.89 को उक्त विवादित भूमि का आवंटन प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 को कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलार्थी के पिता की भूमि के चिपती हुई है। अपीलार्थी के पिता ने उक्त भूमि को आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रा.पत्र पेश किया था जिस पर तहसील से रिपोर्ट प्राप्त होकर प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के कार्यालय में आ गया था। अपीलार्थी के पिता के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही न कर रेस्पो. को विवादित भूमि का आवंटन अपीलांट के पिता को सुने बिना एवं पक्षकार बनाये बिना कर दिया। जबकि विवादित भूमि रेस्पो. के चिपती हुई नहीं है, बल्कि अपीलार्थी के पिता के चिपती हुई भूमि है एवं अपीलार्थी विवादित भूमि स्मालपैच में आवंटन करवाने की अधिकारी है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। इसके अलावा ऐसा आदेश जो बिना सुने एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया हो एवं गुणावगुण पर प्रकरण मजबूत हो तो उसमें मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण आवंटन अधिकारी के पक्षकारों को सुनकर निर्णय देने हेतु रिमांण्ड किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 1994 आरआरडी 356, 2005 आरआरटी (3) 1256, 1998 आरआरडी 319, 2009 डीएनजे (एस.सी) 846, 2018 आरआरटी (1)(एससी) 601, 1993 आरआरडी 502 की नजीरे पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 16.11.1989 के विरूद्ध दिनांक 24.01.2018 को पेश की है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। रेस्पो. द्वारा आवंटन के पश्चात समस्त किश्तों की राशि जमा करवा दी है एवं कब्जा रेस्पो. के पास चला आ रहा है

29/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट अपने आपको चिपता हुआ काश्तकार बता रहा है, उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी न हो ऐसा नहीं माना जा सकता। अपीलार्थीया स्वयं अध्यापिका है एवं पिता गिरदावर था जो आवंटन करवाने के पात्र नहीं था इनका पेशा काश्तकारी नहीं है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील रेस्पो. ने कथन किया कि यदि अपीलार्थी का मैरिट पर मामला बनता है तो अपीलांट या उसके पिता का आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं था अपीलार्थी के पिता द्वारा जो प्रार्थना पेश करना बताया है उसकी फोटो प्रति पेश की है जो साक्ष्य में पढ़ी नहीं जा सकती । रेस्पो0 द्वारा आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाकर अधी. न्यायालय ने रेस्पो. को आवंटन कर दिया। किसी अन्य के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने रेस्पो. को जो आवंटन किया है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खण्डन रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के पिता को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 16.11.1989 के विरूद्ध दिनांक 24.01.2018 को पेश की है जिसके लिए अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने पेश किया है जिसके समर्थन में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा विवादित भूमि के चिपती हुई अपीलार्थी की भूमि है एवं रेस्पोडेन्ट की भूमि उसके चिपते हुए मुरब्बा में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कि विवादित भूमि के चिपते हुए काश्तकारों को आवंटन करने से पूर्व नोटिस दिया गया हो। अपीलांट द्वारा जो न्याय दृष्टान्त पेश किये है उनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसा आदेश जो बिना सुने पारित किया गया हो एवं कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किये बिना पारित किया गया हो एवं प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत हो तो ऐसे मामलों में मियाद का बिन्दु गोण हो जाता है। मौजूदा मामला में अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के पिता को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के पिता को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है, जबकि विवादित भूमि अपीलार्थी के पिता की चिपती हुई भूमि है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चिपते हुए काश्तकारों को कोई नोटिस दिया जाना पत्रावली पर नहीं पाया जाता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.1989 निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी घड़साना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित भूमि के चिपते हुए सभी काश्तकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर